न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 242/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 01.10.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

एवं

प्रकरण संख्याः 244/2024/अपील/एलआरएक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 01.10.2024
अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. सत्यनारायण शर्मा आत्मज हरिकिशन शर्मा
2. गैंद बिहारी शर्मा आत्मज हरिकिशन शर्मा
   निवासीगण ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
3. कमला बाई पत्नी श्री शिवशंकर जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
4. ममता बाई पुत्री शिवशंकर पत्नी राकेश जाति ब्राह्मण निवासी केकड़ी जिला अजमेर

...अपीलांट्स

बनाम

1. रामधनी बाई पुत्री हरिकिशन पत्नी गणेश शर्मा निवासी जवाहर नगर ई–55 गली नंबर 6 न्यू जवाहर नगर, कोटा
2. चंदा देवी पुत्री हरिकिशन पत्नी नवल किशोर शर्मा निवासी बजरिया सवाई माधोपुर
3. रामकन्या पुत्री श्री हरिकिशन पत्नी घांसीलाल निवासी ग्राम नीम का खेड़ा तहसील व जिला बून्दी
4. गोपाल लाल पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा, जिला बून्दी
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तालेड़ा, जिला बून्दी

... रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित : श्री एम. एम. केसरी अभिभाषक –अपीलांट्स क्र. 1 एवं 2
श्री घनश्याम नागर अभिभाषक –अपीलांट्स क्र. 3 एवं 4
श्री अशोक कुमार गुप्ता अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1, लगायत 4
रेस्पो0 पेरोकार सरकार

::निर्णय::

दिनांक 03.12.2024

अपीलांट्स ने न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 108/अपील/2022 बउनवान रामधनी बाई वगे0 बनाम सत्यनारायण वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

अति. स. आयुक्त 3/12/2024

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 (रामधनी बाई एवं चन्दादेवी) द्वारा नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पारित जारी पत्र क्रमांक राज/2002/795 दिनांक 04.01.2002 एवं उसकी पालना में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 ग्राम सीन्ता से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.01.2001 एवं इसके आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 321 दोषपूर्ण प्रतीत होने के फलस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम सीन्ता निरस्त किया जाने का निर्णय दिनांक 17.09.2024 पारित किया गया।

2 न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया कि अपीलांट के खाते एवं काश्त की कृषि आराजियात ग्राम सीन्ता तहसील तालेड़ा जिला बून्दी में स्थित है, जिसके खसरा सं0 1113/428, खसरा सं 484, खसरा सं0 500, 552, 554, 701, 706 कुल किता 7 कुल रकबा 5.2447 हैक्टेयर स्थित है, जिसके संबंध में तहसीलदार तालेड़ा द्वारा नामांतकरण संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 को तस्दीक करते हुए नियमानुसार उपरोक्त नामांतरकण तस्दीक किया था। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर इंतकाल संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 को गुणावगुण का अवलोकन किये बिना ही निरस्त कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। जबकि अपील 20–21 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त 20–21 वर्षो कि मियाद के संबंध में रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में कोई कथन आलेखित नहीं किये गये। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत अपील प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण दिये बिना 20–21 वर्ष मियाद बाहर अपील को केवल मात्र हल्का पटवारी की जानकारी पर अन्दर मियाद होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि आदेश दिनांक 04.01.2001 सपठित नामांतरकरण आदेश दिनांक 06.01.2002 संख्या 321 सहमति के आधार पर प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारित आदेश सपठित इंतकाल के संबंध में कोई अपील करने का प्रावधान नहीं है और उक्त सहमति से रेस्पो0 क्र.1 व 2 एस्टोप्ड है। किंतु फिर भी रेस्पो0 क्र. 1 व 2 की अपील स्वीकार करली, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट के नाम दर्ज आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है बाद सहमति बंटवारा से रेस्पो0 का कोई संबंध अपीलांट की आराजी से नहीं रहा है। इस प्रकार अपीलांट का कब्जा प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने के बावजूद भी रेस्पो0 क्र. 1 व 2 की अपील स्वीकार करली जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2024 निरस्त किया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी क्र. 1 एवं 2 ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2024 आब्रिटेरी केपिसियश तथा परवर्श

तथा कानून सिद्धान्तों के विरूद्ध है। तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जो नामांतरकरण सं0 321 तस्दीक किया था वह नियमानुसार हल्का पटवारी एवं कानूनगो की जांच के उपरांत ही स्वीकृत किया गया था। रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 द्वारा पेश की गई अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा लगभग 21 साल पेश करने के उपरांत भी तथा अपील मेमो में मियाद से संबंधित कोई युक्तियुक्त कारण का उल्लेख नहीं किया गया था जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि डिले का डे टू डे रीजन मय दस्तावेज पेश करना था। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त मियाद के एक अहम बिन्दु को नजरअंदाज करते हुए अपील को अंदर मियाद मानने में भारी त्रुटि की है। अपीलांट एवं रेस्पो0 के बीच पारिवारिक विभाजन हुआ था, जिसकी पुष्टि नामांतकरण सं0 321 से होती है और जो नामांतरकरण सं0 321 दर्ज हुआ है वह पारिवारिक विभाजन के आधार पर दर्ज हुआ है तथा विधि अनुसार विभाजन मौखिक या लिखित रूप से आपसी सहमति से किया जा सकता है तथा विभाजन के समय रेस्पो0 के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई तो ऐसे में रेस्पो0 एस्टॉप्ड है कि पुनः किसी प्रकार की आपत्ति करने के अधिकारी नहीं है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने अनुरोध किया गया।

5 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी क्र. 3 एवं 4 ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर इंतकाल संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 को गुणावगुण का अवलोकन किये बिना ही निरस्त कर दिया। जबकि अपील 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त 20 वर्षों कि मियाद के संबंध में अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में कोई कथन आलेखित नहीं किये गये। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण दिये बिना 20–21 वर्ष मियाद बाहर अपील को अन्दर मियाद होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारित आदेश सपठित इंतकाल के संबंध में कोई अपील करने का प्रावधान नहीं है और उक्त सहमति से रेस्पो0 क्र.1 व 2 एस्टोप्ड है। किंतु फिर भी रेस्पो0 क्र. 1 व 2 की अपील स्वीकार करली, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। अपीलांट के नाम दर्ज आराजी पर अपीलांट काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है बाद सहमति बंटवारा से रेस्पो0 का कोई संबंध अपीलांट की आराजी से नहीं रहा है। इस प्रकार अपीलांट का कब्जा प्रथम दृष्टया प्रमाणित होने के बावजूद भी रेस्पो0 क्र. 1 व 2 की अपील स्वीकार करली जो त्रुटिपूर्ण है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 17.09.2024 को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान किये जाने अनुरोध किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2008(1) DNJ Page 39, DNJ (Raj.) 1996 Page No. 738, 2007 DNJ [SC] Page No. 367 पेश किये।

6 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 4 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी कुल किता 12 कुल रकबा 35 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम सीन्ता पर खातेदार शिवशंकर, सत्यनारायण, गेंदबिहारी, गोपाल पि. हरिकिशन, रामकन्या, रामधनी, चंदाबाई पुत्रियां हरिकिशन का संपूर्ण भूमि पर बराबर–बराबर हिस्सा निहित था। रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 द्वारा कभी भी सहमति बंटवारा हेतु निवेदन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 न्यायोचित है। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को लिखित सहमति से ही बंटवारे का अधिकार है। न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 17.09.2024 अनुसार सहमति बंटवारे की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई साथ ही सहमति बंटवारे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर

उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 अनुसार नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.01.2001 एवं उसके आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 321 दोषपूर्ण मानते हुए ही रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम सीन्ता निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 17.09.2024 पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज फरमायी जावे।

7 हमने अपील एव अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी एवं तहसीलदार तालेड़ा की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एंव रेस्पो0 अभिभाषक पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 (रामधनी बाई एवं चन्दादेवी) द्वारा नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा पारित जारी पत्र क्रमांक राज/2002/795 दिनांक 04.01.2002 एवं उसकी पालना में तस्दीक नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 ग्राम सीन्ता से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रथम अपील न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी के यहां पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.01.2001 एवं इसके आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 321 दोषपूर्ण प्रतीत होने के फलस्वरूप अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम सीन्ता निरस्त किया जाने का निर्णय दिनांक 17.09.2024 पारित किया गया। प्रकरण में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर इंतकाल संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 को गुणावगुण का अवलोकन किये बिना ही निरस्त कर दिया। जबकि अपील 20 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई तथा उक्त 20 वर्षों कि मियाद के संबंध में अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में कोई कथन आलेखित नहीं किये गये। इस प्रकार रेस्पो0 द्वारा प्रत्येक दिन की देरी का स्पष्टीकरण दिये बिना 20–21 वर्ष मियाद बाहर अपील को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्दर मियाद होना मान लिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवं अवैधानिक है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नहीं दिया कि सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार पारित आदेश सपठित इंतकाल के संबंध में कोई अपील करने का प्रावधान नहीं है और उक्त सहमति से रेस्पो0 क्र.1 व 2 एस्टोप्ड है। किंतु फिर भी रेस्पो0 क्र. 1 व 2 की अपील स्वीकार करली, जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण है। इसके विपरित रेस्पो0 का तर्क है कि रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 द्वारा कभी भी सहमति बंटवारा हेतु निवेदन नहीं किया गया। तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार को लिखित सहमति से ही बंटवारे का अधिकार है। न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी के निर्णय दिनांक 17.09.2024 अनुसार सहमति बंटवारे की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई साथ ही सहमति बंटवारे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 अनुसार नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.01.2001 एवं उसके आधार पर तस्दीक अपीलाधीन नामांतरकरण सं0 321 दोषपूर्ण मानते हुए ही रेस्पो0 क्र.1 एवं 2 की अपील स्वीकार की जाकर नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम सीन्ता निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 17.09.2024 पारित किया गया है, जो न्यायोचित है।

8 इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर बून्दी द्वारा प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय किये जाने से पूर्व सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु का परीक्षण करते हुए स्पष्ट किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 321 ग्राम सीन्ता दिनांक 06.01.2002 को तस्दीक किया गया था। जिसकी रेस्पो क्र.1 एवं 2 रामधनी बाई एवं चंदा देवी द्वारा दिनांक 21.11.2022 को धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम में

3/12/2024

उक्त नामांतरकरण की सर्वप्रथम जानकारी पटवारी हल्का से संपर्क करने पर दिनांक 10.11.2022 को होना अंकित करते हुए अपील अधीनस्थ न्यायालय में पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 1992 आर.आर.डी. पेज नं0 17 व 21 के अनुसार प्रथम दृष्टया ही विधिविरूद्ध प्रकट आदेश को कभी भी चुनौती दी जा सकती है, अवैध आदेश को चुनौती देने की कोई समयसीमा नहीं होती है। इस प्रकार लिमिटेशन के संबंध में आर.आर.डी 1998 पेज 319 में प्रतिपादित मत की रोशनी में न्यायहित में अपील का निर्णय मैरिट पर किया जाना न्यायोचित मानते हुए गुणावगुण पर निर्णय दिनांक 17.09.2024 पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 06.01.2002 की पुष्त पर नायब तहसीलदार तालेडा द्वारा जारी पत्र क्रमांक राज/2002/795 दिनांक 04.01.2001 के अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज संलग्न नहीं होने से सहमति बंटवारा संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त नहीं होने से तहसीलदार तालेड़ा से मूल पत्रावली भिजवाने हेतु लिखे जाने के पश्चात् तहसीलदार तालेड़ा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उनके यहां अभिलेखागार में सहमति बंटवारा संबंधी ऐसी कोई पत्रावली उपलब्ध नहीं होना वर्णित किया गया। साथ ही पक्षकारान द्वारा भी सहमति बंटवारा संबंधी पत्रावली की प्रमाणित प्रति या छायाप्रति या अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये। इस प्रकार रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 रामधनी बाई एवं चंदा देवी द्वारा सहखातेदारान के मध्य कोई सहमति बंटवारा नहीं होने संबंधी प्रकट की गई आपत्ति का अपीलांट प्रतिकार करने में असफल रहने से नायब तहसीलदार तालेड़ा का सभी सहखातेदारान की सहमति के बिना उनके खाते की भूमि का कम–ज्यादा बंटवारा कर दिया जाना विधिसम्मत नहीं मानते हुए सहखातेदारान के मध्य आपसी सहमति से बंटवारा पत्र निष्पादित किया गया हो तथा अपीलाधीन आदेश (नामांतरकरण संख्या 321 दिनांक 06.01.2002) पारित करने से पूर्व हितबद्ध खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिया गया हो, ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने के परिणामस्वरूप नायब तहसीलदार तालेड़ा द्वारा जारी पत्र दिनांक 04.01.2001 एवं उसके आधार पर तस्दीक नामांतरकरण संख्या 321 दोषपूर्ण मानते हुए रेस्पो0 क्र. 1 एवं 2 रामधनी बाई एवं चंदा देवी की अपील स्वीकार की जाकर नांमातरकरण संख्या 321 ग्राम सीन्ता निरस्त किये जाने का निर्णय दिनांक 17.09.2024 पारित किया गया। नियमानुसार तहसीलदार/नायब तहसीलदार को लिखित सहमति से ही बंटवारे का अधिकार है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय अनुसार सहमति बंटवारे की पत्रावली प्राप्त नहीं होना उल्लेखित किया गया है। साथ ही सहमति बंटवारे संबंधी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है और अपीलांट द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय में बंटवारे का कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। सभी सहखातेदारान को भी उक्त नामान्तरकरण के समय सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाना प्रकट होता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वांत का उल्लंघन है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.09.2024 में कोई त्रुटि प्रकट नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, बून्दी (प्रथम अपीलीय न्यायालय) का निर्णय दिनांक 17.09.2024 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

9 निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(ममता कुमारी तिवारी) 3/12/2024
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा